राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 238/2015
रामकृष्ण धाकड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव सह आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगापुर सिटी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था। विकास अधिकारी, पं.स. गंगापुर सिटी द्वारा अपीलार्थी के संबंध में ग्राम सेवक के पद पर सेवा संतोषजनक प्रमाण–पत्र मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर को पत्र दिनांक 15.01.2014 प्रेषित किया, जिसमें अपीलार्थी की सेवाएं संतोषजनक होना बताया है और अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित होना नहीं बताया गया है। इसके पश्चात भी अपीलार्थी को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से पदोन्नति के संबंध में अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से पत्र दिनांक 23.03.2015 से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन होने का कारण बताया है। इसके पश्चात मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर ने पत्र दिनांक 07.09.2015 के द्वारा यह स्पष्टीकरण प्रेषित किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं है। इसके पश्चात अभी तक भी अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उक्त अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. इस प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं थी। इसके बाद भी अपीलार्थी के संबंध में जांच विचाराधीन मानते हुए अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसे में हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश देना उचित पाते हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में इस तथ्य पर स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं अथवा नहीं, रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को पदोन्नति के लिए विचार में रखा जाकर उचित आदेश पारित किये जायें और अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिये जाने योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को उसी दिनांक से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाये, जिस दिनांक से अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाये।

4. उपरोक्त समस्त कार्यवाही तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)